राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अवमानना आवेदन पत्र संख्याः—321/2014 (2014/00080)

1. सुखदेव पुत्र कूप सिंह
2. भोला पुत्र कूप सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. प्रभु पुत्र लक्ष्मण जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. प्रताप पुत्र लक्ष्मण जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बन्नासिंह गहलोत, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. मदनलाल जीनगर, तहसीलदार, ब्यावर।
3. राजेश भाटी, पटवारी हल्का गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर। (नाम तर्क)

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थी संख्या 1, 4.
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील प्रार्थी संख्या 2, 3.
3. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, वकील अप्रार्थी संख्या 01.
4. अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 28.6.22

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
2. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए दौराने बहस कथन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ स्थगन आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया, मान्नीय न्यायालय के द्वाराअपील संख्या 146/2012 सुखदेव व अन्य बनाम जिला कलक्टर, अजमेर व अन्य की अपील में स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2012 को पारित किया गया के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी

उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को पाबंद किया गया कि इस स्थगन आदेश की आगामी दिनांक 29.09.2014 नियम है, स्थगन आदेश प्रभाव में है। इस स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी थी एवं रही, स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है। अपील में मान्नीय न्यायालय के रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 की जरिये पैरोकार दिनांक 13.04.2012 को उपस्थित हुए, दिनांक 13.04.2012 को अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं भी उपस्थित हुआ तथा आगामी दिनांक 14.05.2012 रखी गई, इस प्रकार मान्नीय न्यायालय के पारित स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2012 की जिसकी आगामी दिनांक 29.09.2014 तक प्रभाव में है कि जिसकी पूर्ण जानकारी अप्रार्थीगण को थी एवं रही कि इसके बावजूद अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त अधिकारियों को गुमराह कर, अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर, न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए दिनांक 04.08.2014 को उक्त भूमि पर आवेदनकर्ता के रखे 100ट्रोली पत्थरों को उठाकर जबरन अप्रार्थीगण के द्वारा पत्थरों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गोहाना के .परिसन में रखवा दिये गये एवं 8 पट्टियॉ जो रखी थी उन्हे भी तोड़ फौड़ कर नष्ट कर दी गई तथा साथ ही उक्त भूमि पर भारी तादाद में पशुओ का चारा रखा था उस भी नष्ट करवा दिया गया, इस प्रकार अप्रार्थीगण को कि जिन्हे यह पूर्ण जानकारी थी कि मान्नीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है कि पालना नही की गई बल्कि जानबूझकर उक्त अधिकारियों को गुमराह कर मान्नीय न्यायालय के आदेश गरिमा को भंग कर अवमानना की गई है। स्थगन आदेश की छाया प्रति अप्रार्थीगण को दी गई। मान्नीय न्यायालय के आदेश की अप्राथीगण के द्वारा जानबूझकर अवमानना की गई है इस कारण अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावें एवं आवेदनकर्ता को पहुॅचाये गये नुकसान, आर्थिक नुकसान भी पहुचांहा गया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अवमानना आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दण्डित करवाया जावें तथा आवेदनकर्ता को उनके रखे 100 ट्रोली पतरि जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के विद्यालय परिसर में रखे है को आवेदनकर्ता को दिलवाये जावें तथा आवेदनकर्ता को भारी मानसिक पीड़ा भी हुई है एवं आर्थिक नुकसान भी पहुॅचाया गया है कि हर्जाना की उचित राशि भी अप्रार्थीगण से आवेदनकर्ता को दिलवाई जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

3. विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की है । प्रार्थीगण द्वारा जिस आदेश की अवहेलना हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है जिसमें कोई ऐसा दस्तावेजा प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा मान्नीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना की हो। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे । अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने पक्ष में आर.आर.डी. 1988 पेज 225 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 29.01.2021 को स्वयं उपस्थित होकर लिखित में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मै ब्यावर तहसीलदार के पद पर वर्ष 2014 में कार्यरत था, स्कूल की बाउन्ड्री में अतिक्रमण कर पत्थर डाल रखे थे, उनको हटाया गया, नियमुनसार कुछ भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थगन आदि नहीं था तथा पत्थर नियमानुसार हटाया गया । स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई।वर्तमान में तहसीलदार के पद से सेवा निवृत हो चुका है।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण का कथन है कि मान्नीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2012 को पारित किया गया के अनुसार उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को पाबंद किया गया कि इस स्थगन आदेश की आगामी दिनांक 29.09.2014 नियम है, स्थगन आदेश प्रभाव में है। इस स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी थी एवं रही, स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है। मान्नीय न्यायालय के आदेश की अप्राथीगण के द्वारा जानबूझकर अवमानना की गई है इस कारण अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावें एवं आवेदनकर्ता को पहुँचाये गये नुकसान, आर्थिक नुकसान भी पहुचांहा गया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अवमानना आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दण्डित करवाया जावें तथा आवेदनकर्ता को उनके रखे 100 ट्रोली पत्थर जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के विद्यालय परिसर में रखे है को आवेदनकर्ता को दिलवाये जावें तथा आवेदनकर्ता को भारी मानसिक पीड़ा भी हुई है एवं आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया गया है कि हर्जाना की उचित राशि भी अप्रार्थीगण से आवेदनकर्ता को दिलवाई जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। प्रार्थिगण दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना की जाकर प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया हो। प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है ।

6. अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 28.6.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर